

(276)

नियंत्रण) २८६२/II/15

(152)

न्यायालय : मानवीय राजस्व मैडल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

पुनरीक्षण क्र०/ 1015

C.F.
Rs.20/-

- 01- हीरालाल तनय रामगोपाल गुप्ता
- 02- हरीदास तनय रामसुन्दर गुप्ता
- 03- रामकृष्ण तनयरामविश्वाल गुप्ता
- 04- मुझ पार्वती बैवा स्वरूप रामगोपालगुप्ता
- 05- अरविंद कुमार पिता रामगोपालगुप्ता
- 06- रवीन्द्र पिता रामगोपाल गुप्ता
- 07- जीतेन्द्र पिता रामगोपाल गुप्ता
- 08- आनन्द पिता रामगोपाल गुप्ता
- 09- ममता पुत्री रामगोपाल गुप्ता
- 10- दीपिका पुत्री रामगोपाल गुप्ता

श्री. शिवसुलाल किंवदि के
द्वारा आज दिनांक १५.७.१५
प्रस्तुत किया गया।

संस्कृत एवं रीता

२५।
०९.७.१५

सभी निवासीण ग्राम करोदिया उत्तरठोला तहसील गोपद्वनास जिला
सीधी, म०प्र०।

----- आवेदकगण -----

बनाम्

01- बुद्धेन तनय दयानंद सोनी निवासी करोदिया उत्तरठोला सीधी, तह०
गोपद्वनास जिला सीधी, म०प्र०।

02- म०प्र०राज्य

----- अन्तर्गतगण -----

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०स० 1959

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील गोपद्वनास

जिला सीधी, दिनांक 25.09.013 जो राजस्व

निर्तर... २४८

(152)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... २४५२-II/१५ जिला..... सीधी
 ईशालाल उपनगर विरुद्ध छुइसन्न सभी

1	2	3
16.1.19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... शिव प्रसाद शिवदी..... अधिवक्ता द्वारा यह नाम्ब तहसीलदार तहसील..... वारापदबाजास के प्रकरण क्रमांक..... ४०/आ-१२/२०१२-१३ में पारित आदेश दिनांक..... २५.०९.१३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र०० भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९.०३.१९ को कलेक्टर..... सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	